

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर 0ए0एस)**

मु0 संख्या :- 11/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर		1. श्री विरेन्द्रसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गोपालसिंह राजपुरोहित उम्र 26 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी पुरानी लाईन हरीरामजी का मंदिर के पास गंगाशहर, बीकानेर मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर, बीकानेर (राज.) 2. मालिक रामगोपाल गहलोत पुत्र गंगाराम गहलोत वार्ड नं. 19 बाबा रामदेव मंदिर के पास सुजानदेसर बीकानेर, मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर, बीकानेर (राज.) 3. मालिक हनुमानमल गहलोत पुत्र गंगाराम गहलोत वार्ड नं. 19 बाबा रामदेव मंदिर के पास, सुजानदेसर बीकानेर, मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर, बीकानेर (राज.) 4. मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर, बीकानेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (II) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
2006 नियम 2011)


उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री विरेन्द्रसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गोपालसिंह राजपुरोहित।
3. मालिक रामगोपाल गहलोत पुत्र गंगाराम गहलोत।
4. मालिक हनुमानमल गहलोत पुत्र गंगाराम गहलोत।
5. मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर,
बीकानेर।


--:: निर्णय ::--

दिनांक: 01.08.2019


1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 उपधारा (II) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया
गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस
तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2018 को 10:30
एएम. पर टाटा लोडिंग आरजे-7 जीसी 5070 वाहन में कलेक्ट्रेट के सामने



जैसलमेर कारोबार कर रहा था, जिसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर, बीकानेर दुकान/संस्थान टाटा लोडिंग आरजे-7 जीसी 5070 वाहन पर विक्रेता श्री विरेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र गोपालसिंह राजपुरोहित कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। विक्रेता ने उक्त फर्म का मालिक/भागीदार श्री रामगोपाल गहलोत पुत्र गंगाराम गहलोत वार्ड नं. 19 बाबा रामदेव मंदिर के पास, सुजानदेशर बीकानेर मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर, बीकानेर को होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय टाटा लोडिंग आरजे-7 जीसी 5070 वाहन में सोहन पापडी माधव ब्राण्ड को खादय पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात सोहन पापडी माधव ब्राण्ड लगभग 400-400 ग्राम के पैक चार डिब्बे नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 248 रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। विक्रेता ने मौके पर उक्त माल खरीद बिल प्रमाणित छाया प्रति मौके पर दी जो श्री धनश्यामदास भाटिया तालरीया पाडा, जैसलमेर जिला जैसलमेर के द्वारा प्रमाणित बिल द्वारा खरीद होना बताया जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा सोहन पापडी माधव ब्राण्ड के चार नमूने लिये प्रत्येक को प्लास्टिक बोतल पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं क्रमांक नम्बर एन-833 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-833 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-833 सोहन पापडी माधव ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा; जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका



फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं के द्वारा दिनांक 28.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 27.02.18 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/15541-44 दिनांक 08.06.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./239/Act/2018/258 दिनांक 05.04.2018 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-833/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री विरेन्द्रसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गोपालसिंह राजपुरोहित उम्र 26 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी पुरानी लाईन हरीरामजी का मंदिर के पास गंगाशहर, बीकानेर (राज.) 2. मालिक रामगोपाल गहलोत पुत्र गंगाराम गहलोत वार्ड नं. 19 बाबा रामदेव मंदिर के पास सुजानदेसर बीकानेर (राज.) 3. मालिक हनुमानमल गहलोत पुत्र गंगाराम गहलोत वार्ड नं. 19 बाबा रामदेव मंदिर के पास, सुजानदेसर बीकानेर (राज.) 4. मैसर्स रामदेव इंडस्ट्रीज रामरतन कोचर सर्किल के पास गंगाशहर, बीकानेर (राज.) ने मिथ्याछाप सोहन पापड़ी माधव ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि



अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थीगण की ओर से 1. श्री विरेन्द्रसिंह राजपुरोहित 2. मालिक रामगोपाल गहलोत 3. श्री हनुमानमल गहलोत दिनांक 14.06.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया कि अनवान प्रकरण में मुल्जिम पर लगाये गये आरोप मुल्जिम स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। यह कि गुलाब जामुन माधव ब्राण्ड के जाँच हेतु दिये गये थे जो कि मिथ्याछाप पाया गया है। फर्म में त्रुटिवंश पैकेट पर निर्माण तिथि दिनांक गलत अंकित कर दी गई थी। मुल्जिम का प्रथम अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किए जाने की प्रार्थना है। भविष्य में हमारे द्वारा पूर्ण ध्यान व पूर्ण सावधानी रखी जावेगी तथा किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे।


3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./239/Act/2018/258 दिनांक 05.04.2018 के अनुसार सोहन पापडी माधव ब्राण्ड का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया है। वही अप्रार्थीगण स्वयं द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में जुर्म स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जुर्म स्वीकार करने से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करने अथवा साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं रही है। परिणाम स्वरूप अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण पर मिथ्याछाप स्तर के सोहन पापडी माधव ब्राण्ड का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा किए गये जुर्म के लिए अप्रार्थीगण को मिथ्याछाप सोहन पापडी माधव ब्राण्ड के विक्रय के लिए दोषी होने पर अप्रार्थीगण श्री विरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री रामगोपाल गहलोत, श्री हनुमानमल गहलोत जो फर्म के प्रापराईटर भी है पर रुपये 33,000/- अखरे रुपये तैतीस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मद के अन्तर्गत न्यायालय के निर्णय से एक माह की अवधि में जमा करवाकर मय चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर